तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
9-9-20	पत्रावली पेश हुई वकील उभयपक्ष उपस्थित वास्ते बहस प्रार्थना पत्र पत्रावली 15-10-20 को पेश हो
15-10-20	पत्रावली पेश हुई वकील उभयपक्ष उप. वास्ते बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 LRA उभयपक्ष अवसर चाहा गया अंतिम अवसर दिया जाकर पत्रावली 5-11-2020 को पेश हो
5-11-20	पत्रावली पेश हुई वकील उभयपक्ष उपस्थित बहस प्रा० पत्र अन्तर्गत 212 LRA पर सुनी गई वास्ते आदेश पत्रावली 18-11-20 को पेश हो
18-11-20	पत्रावली पेश हुई वकील उभयपक्ष उपस्थित PO SDO मीटिंग में पधारे हैं अतः वास्ते आदेश प्रा-पत्र पत्रावली 19-11-2020 को पेश हो
19-11-20	पत्रावली पेश हुई वकील उभयपक्ष उपस्थित आदेश सुनाया गया प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विरुद्ध प्रत्यर्थी सं. [illegible] अस्वीकार किया जाता है [illegible] पत्रावली जाकर शामिल [illegible] किया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर सलंग्न मूल वाद रहे उपखण्ड अधिकारी मांडरी (बूंदी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.03.02 18:21:40 IST
Reason: Self Attested

न्यायालय उपखण्ड अ...
...ना पत्र संख्या /2017
दायरा दिनांक 01/03/2016
बनवारीलाल आयु 60 वर्ष आ0 श्री ...
हाल निवासी टीचर्स कॉलोनी,वार्ड न...
राज.

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी, जिला बून्दी (राज.)

प्रार्थना पत्र संख्या /2017
दायरा दिनांक 01/03/2016

पीठासीन अधिकारी
प्रमोद कुमार(RAS)

बनवारीलाल आयु 60 वर्ष आ0 श्री धन्नालाल जी जाति मीणा निवासी ग्राम बडावली हाल निवासी टीचर्स कॉलोनी,वार्ड नम्बर 04, कापरेन तहसील के.पाटन जिला बून्दी राज.

......प्रार्थी

बनाम

1 रतना आ0 परसया जाति मीणा निवासी ग्राम खरायता तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज.
2 बृजमोहन आ0 नंदा जाति मीणा निवासी ग्राम खरायता तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज.
3 मंजू बाई पत्नी शिवराज जाति मीणा निवासी ग्राम बडावली तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज.
4 कुन्दन चीता आ0 भॅवरलाल जाति मीणा निवासी गायत्री विहार बोरखेड़ा कोटा तहसील लाड़पुरा कोटा राज.
5 परसराम आ0 सीताराम जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम खाकटा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज.
6 राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार साहब, इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज.

..अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर. टी. एक्ट

निर्णय

दिनांक 19/11/2020

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तगारी अधिनियम 1956 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि खसरा सं. 720 रकबा 1.00 हैक्टेयर नहरी द्वितीय ग्राम खरायता में [illegible] है। जिसके राजस्व रिकॉर्ड में अप्रार्थी रतना का हिस्सा 1/2, अप्रार्थी संख्या [illegible] का हिस्सा 1/4, अप्रार्थी संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.03.02 18:21:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Scanned with CamScanner

3 का हिस्सा 1/20 अप्रार्थी संख्या 4 का 3/20, दर्ज है। प्रार्थी ने उक्त भूमि 06/01/2006 को जर्ये पंजीकृत विक्रय विलेख द्वारा खरीदकर कब्जा प्राप्त किया था,जो सहखातेदारी में चली आ रही है। विवादित आराजी में अप्रार्थी सं. 5 का कोई हित निहित नही है। न ही राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। अप्रार्थी सं. 5 परसराम ताकत के बल पर विवादित आराजी पर नीवं खोदकर निर्माण करने पर अमादा है। जिसका उसको किसी भी प्रकार से कानूनी अधिकार प्राप्त नही है प्रार्थी ने दिनांक 15/02/2017 को अप्रार्थी सं. 5 से मौके पर पत्थर डालने से मना किया तो अप्रार्थी सं. 5 ने प्रार्थी को धमकी दी कि मे जबरन ताकत के बल पर निर्माण करके रहूँगा। और अंत में प्रार्थना की गई कि यदि दौराने वाद अप्रार्थी सं. 5 विवादित आराजी पर कब्जा कर निर्माण कर लिया गया तो प्रार्थी का दावा करना ही बेकार हो जायेगा अतः अप्रार्थी सं. 5 परसराम को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाये।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया अप्रार्थी सं. 3 व 5 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थी के द्वारा अपने पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादन के बाद से आज तक कब्जा काश्त नही रहा तथा प्रार्थी बिना विभाजन कराये अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जाये।

हमारे द्वारा उभयपक्षों की बहस सुनी गई प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि प्रार्थी वाद विषयक आराजी में हिस्सा 1/20 का रिकार्डेड खातेदार है अप्रार्थी सं. 5 वाद विषयक आराजी के संबध में पूर्णतया अजनबी व्यक्ति है एवं अप्रार्थी सं 5 का विवादित आराजी पर किसी प्रकार का कोई हित नही है व अप्रार्थी सं. 5 परसराम विवादित आराजी पर अवैधानिक रूप से कब्जा कर निर्माण करने पर अमादा है जिसका अप्रार्थी सं. 5 को कोई अधिकार प्राप्त नही है। और अंत में प्रार्थना की गई कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

अप्रार्थी सं. 3 व 5 के अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि अप्रार्थी सं. 3 हिस्सा 1/20 का सहखातेदार है इस कारण अप्रार्थी सं. 3 के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकार प्रार्थी को

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.03.02 18:21:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
लाडेरी (बून्दी)

Scanned with CamScanner

नही है। हिस्सा 1/20 पर अप्रार्थी सं. 3 व 5 का कब्जा चला आ रहा है। ओर अंत में प्रार्थना की गई कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जाये।

हमारे द्वारा उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 के अनुसार वादविषयक आराजी के प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 लगायत 4 सहखातेदार के रूप में दर्ज रिकॉर्ड है प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी सं. 5 के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा चाही गई है अप्रार्थी सं. 5 वाद विषयक आराजी का सहखातेदार दर्ज रिकॉर्ड नही है। न ही कब्जा काश्त होना पाया जाता है अप्रार्थी सं. 5 का वाद विषयक आराजी से किसी प्रकार का वैधानिक संबध होने बाबत् कोई दस्तावेज अप्रार्थी सं. 5 के द्वारा पत्रावली पर पेश नही किया गया है। इस कारण अप्रार्थी सं. 5 को वाद विषयक आराजी पर अवैधानिक रूप से कब्जा कर निर्माण कार्य करने का कोई अधिकार नही होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया प्रमाणित होना पाया जाता है।

प्रार्थी का वाद विषयक आराजी का सह खातेदार होने से यदि अप्रार्थी सं. 5 के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जाती है तो प्रार्थी को अप्रार्थी सं. 5 की अपेक्षा में अधिक क्षति होने की भविष्य में पूर्ण सम्भावना है इस प्रकार क्षति का सुविधा संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में एवं अप्रार्थी सं. 5 के विरूद्व होना पाया जाता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 आर.टी.एक्ट. स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सं. 5 को दौराने वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह खसरा नं. 720 रकबा 1.00 हैक्टेयर वाके ग्राम खरायता तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी में स्थित भूमि के किसी भी हिस्से पर जबरन कब्जा कर निर्माण कार्य नही करें। और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से कराये। पत्रावली फैसल शुमार होकर सलग्न मूल वाद रहे।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 19/11/2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.03.02 18:21:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner